प्रेषक,

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 04 मार्च, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मै0 द्वारिका राईस मिल लि0, प्लाट नं0 डी-3, साइट नं0-1 इण्डस्ट्रियल एरिया, उन्नाव के राईस मिल के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-1145/खा0प्र0मि0/133/13-14, दिनांक 10 फरवरी, 2014 एवं 1179/खा0प्र0मि0/13-14, दिनांक- 21.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक- 08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 30.08.2013 द्वारा मै0 द्वारिका राईस मिल लि0, प्लाट नं0 डी-3, साइट नं0-1 इण्डस्ट्रियल एरिया, उन्नाव के राईस मिल के विस्तारीकरण हेतु अनुदान की संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-317/58-2-2013-300(18)/2012, दिनांक- 05.06.2013 द्वारा रू0-2,10,00 हजार की धनराशि जिसमें मुख्य योजना हेतु उपलब्ध धनराशि रू0-1,6000 हजार तथा शासनादेश संख्या-9/52/58-2-2014-300(13)/13, दिनांक- 31.01.14 द्वारा रू0-10,49,15 हजार (रूपये दस करोड उन्चास लाख पन्द्रह हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-12,09,15 हजार (रूपया बारह करोड नौ लाख पन्द्रह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है। अब तक कुल रू0-1,54,08 हजार की धनराशि के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप अब मुख्य योजना हेतु रू0-10,55,07 हजार (रूपया दस करोड पचपन लाख सात हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान में उपलब्ध है।

4. उपलब्ध धनराशि में से उक्त कार्य हेतु अनुदान की प्रथम किस्त रू0-10.37 लाख (रूपया दस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन द्वारा कराया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनुदान हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक- 31.03.2014 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(7) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु आप स्वयं तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

(8) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(9) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(राजीव रौतेला)
विशेष सचिव।

संख्या-12/181(1)/58-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in